"डाक-पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 301-च]   रायपुर, मंगलवार, दिनांक 24 अगस्त 2004—भाद्र 2, शक 1926

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2004

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-12/2003/खनिज.—छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि अधिनियम, 2003 की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ—
   (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि नियम, 2004 है.
   (2) ये नियम छत्तीसगढ़ राजपत्र में उसके प्रकाशन के तारीख से प्रवृत्त होंगे.
   (3) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

2. परिभाषाएं—
   इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
   (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि अधिनियम, 2003 (क्रमांक 22 सन् 2003).
   (ख) "प्ररूप" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप.
   (ग) उपयोग किये गये परन्तु अपरिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उन्हें छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि अधिनियम, 2003 (क्रमांक 22 सन् 2003) में दिये गये हैं.

3. निधि से वित्तीय सहायता हेतु आवेदन—

(1) अधिनियम की धारा 5 के खण्ड (क) अथवा (ख) के अंतर्गत संचालनालय अथवा निगम द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, निधि से आवंटन हेतु प्ररूप "क" में आवेदन किया जाएगा.

(2) जहां निधि से आवंटन खनिजों की खोज तथा अन्वेषण, संयुक्त प्रक्षेत्रों में भागीदारी, खदान क्षेत्रों में अधोसंरचना उपलब्ध कराने, प्रदेश में खनिज आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने आदि हेतु चाहा गया हो, यथास्थिति, ऐसे खनिजों की खोज तथा अन्वेषण, संयुक्त प्रक्षेत्रों में भागीदारी, खदान क्षेत्रों में अधोसंरचना उपलब्ध कराने, प्रदेश में खनिज आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देने आदि हेतु प्रस्तावित कार्यक्रम अथवा परियोजना की प्रति, आवेदन के साथ संलग्न की जाएगी.

4. आवेदन का परीक्षण—

(1) निधि से आवंटन हेतु प्राप्त आवेदनों का परीक्षण सलाहकार समिति के सदस्य सचिव द्वारा यथाशीघ्र किया जावेगा.

(2) सदस्य सचिव द्वारा परीक्षण के उपरान्त अपने प्रतिवेदन तथा अनुशंसाओं यदि कोई हो तो, के साथ आवेदन पत्र सलाहकार समिति के समक्ष यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा.

5. सलाहकार समिति की बैठक—

(1) सलाहकार समिति की बैठक तीन माह में एक बार अथवा आवश्यकता के अनुसार पहले आयोजित की जाएगी.

(2) सलाहकार समिति की बैठक की तिथि तथा स्थान सदस्य सचिव द्वारा अध्यक्ष के परामर्श से नियत किया जाएगा एवं बैठक के एजेंडा के साथ सूचना बैठक के सात दिवस पूर्व जारी की जाएगी.

(3) बैठक के एजेंडा को अंतिम रूप देने, सूचना जारी करने तथा सलाहकार समिति के कार्यवाही विवरण सदस्य सचिव द्वारा अभिलिखित तथा संधारित किया जाएगा.

6. निधि से राशि स्वीकृत एवं जारी करना—

(1) निधि से आवंटन हेतु सलाहकार समिति द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों के लिए खनिज साधन विभाग द्वारा सलाहकार समिति द्वारा किए गए अनुमोदन के अनुरूप राशि जारी करने हेतु स्वीकृति आदेश जारी किया जाएगा.

(2) निधि से राशि ऐसी रीति से जारी की जाएगी जैसी कि इस उद्देश्य के लिए समय-समय पर राज्य सरकार के खनिज साधन विभाग द्वारा वित्त विभाग के परामर्श से निर्धारित की जाए.

7. लेखा संधारण की रीति—

(1) समय-समय पर निधि में जमा अथवा आहरित तथा व्यय का लेखा खनिज साधन विभाग द्वारा प्ररूप "ख" में संधारित किया जावेगा.

(2) निधि से प्राप्त राशि, व्यय एवं तत्संबंधी अन्य विषयों का लेखा संधारण यथास्थिति संचालनालय अथवा निगम में, प्रभारी अधिकारी, लेखा द्वारा राज्य सरकार की राशि के लेखा संधारण की भांति किया जाएगा.

8. लेखा का पर्यवेक्षण एवं वार्षिक वित्तीय पत्रक की प्रस्तुति—

संचालक द्वारा नियम 7 में उल्लेखित लेखा विवरण का समय-समय पर पर्यवेक्षण परीक्षण एवं निरीक्षण किया जावेगा तथा वार्षिक वित्तीय पत्रक राज्य विधान सभा में प्रस्तुत करने हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किया जावेगा.

9. नामांकित सदस्यों को फीस एवं भत्ते—

सलाहकार समिति के नामांकित सदस्यों को राज्य शासन के प्रथम श्रेणी अधिकारी के समकक्ष यात्रा भत्ता तथा ऐसी दर पर जो कि खनिज साधन विभाग द्वारा वित्त विभाग से परामर्श करके निर्धारित की जाए, फीस प्राप्त करने की पात्रता होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. ठाकुर, विशेष सचिव.

प्ररूप "क"
(देखें नियम 3)

संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि आवंटन हेतु आवेदन

प्रति,

सदस्य सचिव,
सलाहकार समिति,
छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि,
संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म,
छत्तीसगढ़, रायपुर.

महोदय,

हम अनुरोध करते हैं कि अधोलिखित विवरण के अनुरूप छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि से हमें आवंटन स्वीकृत किया जावे.

2. वांछित विवरण निम्नलिखित है :—

(एक) आवेदक का नाम पूरे पता के साथ—

(दो) आवंटन/वित्तीय सहायता का उद्देश्य (परियोजना को रूप रेखा/आयोजना/योजना की प्रति संलग्न की जावे)

(क) खनिज की खोज एवं अन्वेषण—

(ख) संयुक्त प्रक्षेत्र में भागीदारी—

(ग) खदान क्षेत्र में अधोसंरचना उपलब्ध कराने—

(घ) खनिज आधारित उद्योग के प्रोत्साहन—

(ङ) अन्य प्रायोजन (स्पष्ट विवरण देवें)—

(तीन) आवेदक को पूर्व में आवंटित राशि में से उपयोग न की गई राशि का विवरण—

आवंटन का दिनांक	आवंटित राशि	किये गये उपयोग की स्थिति
(1)	(2)	(3)

(चार) अन्य कोई विवरण जो आवेदक प्रस्तुत करना चाहे—

हम घोषणा करते हैं कि ऊपर दिया गया विवरण सही है तथा आपके द्वारा वांछित अन्य कोई विवरण, जानकारी, जिसमें विस्तृत योजनायें सम्मिलित हों, देने को तैयार हैं.

स्थान :

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक का नाम

कार्यालयीन मुद्रा

टिप्पणी :—स्थान पर्याप्त न होने की स्थिति में अलग से पृष्ठ संलग्न किये जा सकते हैं.

प्ररूप "ख"
(देखें नियम 7)

खनिज साधन विभाग, छत्तीसगढ़

निधि के जमा आहरण एवं व्यय के संधारण हेतु प्रपत्र

वित्तीय वर्ष	दिनांक	जमा	आहरण			शेष	आहरण का उद्देश्य	हस्ताक्षर	टिप्पणियां
			संचालनालय के लिए	निगम के लिए	वर्ष के लिए क्रमिक उत्तरोत्तर योग				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					—				